



बिहार विधान सभा

पंचदश सत्र

तारांकित प्रश्न

24 जुलाई 2025

[कृषि - राजस्व एवं भूमि सुधार - पशु एवं मत्स्य संसाधन - लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण - नगर विकास एवं आवास - सहकारिता].

कुल तारांकित प्रश्न 111

सुधार करना

*299 श्री अचमित ऋषिदेव (47) (रानीगंज, अररिया):

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- 1.क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला के सूर्यगढा प्रखंड में श्री टुन्डा सिंह एवं श्री गोविंद प्रसाद सिंह के नाम से खतियानी जमीन है, जिसका मौजा चक सलेमपुर, थाना नं0-17, जमाबंदी नं0-04, खाता-86, खेसरा-18, रकबा-45 डिसमिल तथा जमाबंदी नं0-04, खाता-06, खेसरा-40, रकबा-30 डिसमिल, दोनों मिलाकर 75 डिसमिल है जिसमें 45 डिसमिल बेचने के बाद खेसरा-40 में रकबा 7.5 डिसमिल तथा खेसरा-18 में रकबा 22.5 डिसमिल जमीन का ऑनलाईन पोर्टल पर नहीं दिख रहा है;
- 2.क्या यह बात सही है कि उक्त अंकित जिला एवं प्रखंड में श्री टुन्हा सिंह के नाम से मौजा चक सलेमपुर, थाना नं0-17, जमाबंदी नं0-03, खाता-20, खेसरा-29, रकबा-48 डिसमिल में से 12 डिसमिल बेचने के बाद रकबा 36 डिसमिल जमीन ऑनलाईन पोर्टल पर नहीं दिख रहा है;
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड- 1 एवं खंड-2 में वर्णित जमीन को ऑनलाईन पोर्टल में सुधार कर अंकित कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

बन्दोबस्ती करना

*300

श्रीमती गायत्री देवी (25) (परिहार):

पशु एवं मत्स्य संसाधन :-

क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

1. क्या यह बात सही है कि सीतामढी जिलान्तर्गत परिहार प्रखंड के महादेव पट्टी पंचायत में मठवा टोल पोखर मछली पालन हेतु मत्स्यजीवी स0स0लि0 परिहार के सदस्यों द्वारा संचालित किया जाता रहा है, जिसमें सदस्यों की संख्या 40 है,
- 2 . क्या यह बात सही है कि वर्ष 2023-24, 2024-25 में मात्र तीन सदस्यों को ही जलकर बंदोबस्ती कर दिया गया है जो नियम के विपरित है,
- 3 . यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार परिहार प्रखंड के महादेव पट्टी पंचायत अंतर्गत मठवा टोल पोखर (जलकर) की बंदोबस्ती सभी सदस्यों के नाम से कराने का विचार रखती है, हां तो कबतक नहीं तो क्यों ?

बोरिंग लगाना

*301

श्री हरीभूषण ठाकुर “बचोल” (35) (बिस्फी):

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड को बिस्फी डीहटोल एवं रहिका प्रखंड के वार्ड नं0-9 सप्ता में ब्रह्मस्थान में समरसेबुल बोरिंग नहीं रहने के कारण स्थानीय लोगों को पीने की पानी को लेकर भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हां तो सरकार कबतक उक्त स्थानों पर समरसेबुल बोरिंग लगाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

बस स्टैण्ड का निर्माण

*302

श्रीमती वीणा भारती (44) (त्रिवेणीगंज):

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला- अन्तर्गत त्रिवेणीगंज प्रखण्ड के जदिया बाजार में बस स्टैण्ड नहीं रहने से यात्रियों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार जदिया बाजार में कब तक बस स्टैण्ड का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुविधा बहाल करना

*303

श्री महा नंद सिंह (214) (अरवल):

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

1. क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के कलेर प्रखण्ड के कमता पंचायत के सहाय बिगहा, कमता मठिया , मठ दलित टोला, अरवल प्रखण्ड के सोनवर्षा पंचायत के लक्ष्मी टोला, बन्देली बिगहा में लोग नल-जल की सुविधा से वंचित हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर नल-जल की सुविधा बहाल करने का विचार रखती हैं, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण हटाना

*304 श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह (109) (दारौंदा):

नगर विकास एवं आवास क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत दानापुर नगर परिषद क्षेत्र के रामजयपाल रोड, अर्पणा बैंक कॉलोनी फेज-02 में गंगा सिटी अपार्टमेंट से रिबलौन रिजेंसी अपार्टमेंट तक जाने वाली सड़क, जो 40 फीट चौड़ी है, उसको स्थानीय निवासियों द्वारा चहारदीवारी का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे उक्त सड़क अब तक मात्र 10 फीट चौड़ी ही रह गयी है, जिसके कारण वहाँ के निवासियों को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सड़क को अतिक्रमणमुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

बोरिंग लगना

*305 श्रीमती अरुणा देवी (239) (वारसलीगंज):

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के काशीचक प्रखण्ड अन्तर्गत नेपुरा गाँव के दो वार्डों में जलापूर्ति 3 कि०मी० दूर वाजितपुर गाँव के टंकी से होने के कारण हमेशा वाधित रहता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नेपुरा गाँव के दोनों वार्डों में बोरिंग कर जलापूर्ति सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

योजान चालू

*306 श्री जय प्रकाश यादव (46) (नरपतगंज):

कृषि :-

क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा किसानों के मक्का फसल को सुखाने की थ्रेसरिंग फ्लावर जैसी योजना को बंद किए जाने के कारण किसान NH या SH जैसे महत्वपूर्ण सड़कों पर मक्का सुखाने को विवश हैं, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक, थ्रेसरिंग फ्लावर जैसी योजना को पुनः संचालित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शवदाहगृह का निर्माण

*307

श्री राम सिंह (4) (बगहा):

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- 1. क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिला के कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, बगहा के पत्रांक-4005/न० प०, बगहा, दिनांक-26-12-2024 के द्वारा शवदाहगृह निर्माण हेतु बगाह-1 में गंडक नदी के किनारे चिन्हित भूमि के लिए अंचलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र का मांग किया गया है, परन्तु अभी तक अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो सरकार जनहित में कब तक शवदाहगृह निर्माण हेतु चिन्हित भूमि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

शुद्ध पानी उपलब्ध

*308

श्री श्रीकान्त यादव (113) (एकमा):

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत प्रखंड एकमा के पंचायत फुचटी कला में नल जल का संचालन नहीं हो पा रहा है जिससे आमजन को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ तो सरकार उक्त पंचायत में शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

निजात दिलाना

*309

श्री ललित नारायण मंडल (157) (सुल्तानगंज):

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत सुल्तानगंज के नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड सं०-18 से 28 तक जल जमाव की स्थिति बनी रहती है, जिससे वहाँ के लगभग 5000 की आबादी प्रभावित है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वहाँ की जनता को जलजमाव की समस्या से निजात दिलाने का विचार रखती हैं, नहीं तो क्यों ?

मुआवजा राशि

*310

श्री राजेश कुमार (222) (कुटुम्बा):

राजस्व एवं भूमि सुधार क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- 1. क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद में निर्माणाधीन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे पथ निर्माण हेतु भूअर्जन में किसानों को वन प्रोजेक्ट वन रेट के अनुरूप मुआवजा राशि का भुगतान नहीं हो रहा है; यदि हाँ, तो सरकार प्रभावित किसानों को वन प्रोजेक्ट वन रेट के अनुरूप मुआवजा राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

चकबंदी कायम रखना

*311 श्री रणविजय साहू (135) (मोरवा):

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के ताजपुर के अंचल अन्तर्गत राजस्व ग्राम रहिमाबाद, थाना नं0-76 में वर्ष 1967 में भूधारियों के बीच चकबंदी के पश्चात चक खतियान वितरित किया गया हैं तथा चक खतियान के आधार पर भूधारियों को दखल कब्जा दिया गया जिसमें मकान बनाया गया है और उसी आधार पर जमीन की खरीद बिक्री हुई है, परन्तु वर्ष 2018 में चकबंदी पर रोक लगा दी गई है, यदि हाँ, तो सरकार जनहित में वर्ष 2018 में जारी आदेश को रद्द करते हुए 1967 के चकबंदी को कायम रखने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था करना

*312 श्री चन्द्रशेखर (73) (मधेपुरा):

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलांतर्गत धेलाढ़, गम्हरिया एवं अंचल में हाट बाजार लगता है परन्तु मुलभुत सुविधा उपलब्ध नहीं रहने के कारण आम आदमी को काफी कठनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्कत अंचलों में लगने वाले हाट बाजार में शेड, शौचालय, का निर्माण, पानी, पार्किंग की व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

सड़क सह नाला निर्माण

*313 श्री ऋषि कुमार (220) (ओबरा):

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पाटलीपुत्रा नगर निगम क्षेत्र में आसियाना गौंधी नगर मुहल्ला में स्थित ओमकारेश्वर हनुमान मंदिर से मधुबनपुरी कॉलोनी तक जाने वाली सड़क जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहने एवं नाला का निर्माण नहीं कराये जाने के कारण सड़क पर हमेशा गन्दे पानी का जमाव रहता है, जिससे आमजनों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सड़क एवं नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

चापाकल लगाना

*314 श्री अजीत कुमार सिंह (201) (डुमरांव):

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण (2022-23) के अनुसार, बक्सर जिले में भूमिगत जल स्तर 10 मीटर से अधिक नीचे चला गया है जिससे नलजल योजना के कार्यरत नहीं होने की स्थिति में नागरिकों को पीने के पानी की घोर किल्लत उत्पन्न हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए प्रत्येक वार्ड में कम से कम 5 चापाकल स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

भुगतान करना

***315 श्री मोहम्मद अनजार नईमी (52) (बहादुरगंज):**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यह बतलाने का कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज तथा टेढ़ागाछ प्रखण्ड में नल-जल द्वारा स्थापित पेय जल पलान्ट के ऑपरेटर को मानदेय का भुगतान एक वर्ष से नहीं किया जा रहा है,
2. क्या यह बात सही है कि मानदेय भुगतान नहीं होने से ऑपरेटरों द्वारा पलान्ट का संचालन नियमित एवं सुचारु रूप से नहीं किया जा रहा है;
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कब तक ऑपरेटरों का बकाया राशि भुगतान कराते हुए पलान्ट का संचालन निर्बाध रूप से कराना चाहती है, नहीं तो क्यों ?

जाँच कराना

***316 श्री रामबली सिंह यादव (217) (घोसी):**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने का कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा प्रत्येक जिलों में दिया जाने वाला चापाकल का पहले स्थल चयन होता है तदुपरान्त निविदा के माध्यम से चयनित स्थल पर कनीय अभियंता के देख-रेख में लगाये जाने का प्रावधान है,
2. क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला में वर्ष 2024-25 का 42 चापाकल बिना स्थल चयन किये निविदा कर दिया गया तथा कनीय अभियंता के देख-रेख के बिना ही घोसी प्रखंड के माधोपुर आदि गाँवों में कार्यपालक अभियंता एवं ठेकेदार द्वारा चापाकल लगा दिया गया है, जिसकी जाँच हेतु विभाग के सचिव, पटना को पत्रांक-25/25 दिनांक-20.05.2025 के माध्यम से जाँच एवं कार्रवाई हेतु पत्र लिखा गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई,
3. यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार जाँचोपरान्त ठेकेदार एवं कार्यपालक अभियंता पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

चालू करना

*317

श्री सिद्धार्थ सौरव (191) (बिक्रम):

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

1. क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत बिहटा प्रखंड स्थित ग्राम —अमहारा, थाना संख्या — 44, खता सं०- 734 में खेसरा सं० — 2125, 2154, 2178 रैयती भूमि है, जिसका 5 वर्षों से निबंधन पर प्रतिबंध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित खाता, खेसरा की भूमि का निबंधन की प्रक्रिया को शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

जल जमाव से निजात दिलाना

*318

श्री अशोक कुमार (132) (वारिसनगर):

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलामुख्यालय नगरनिगम क्षेत्र अंगत लहेरियासराय स्थित वार्ड सं०- 38 के दिलदारगंज, बहादुरपुर, चक्जोहरा मोहल्ला में सरकारी भूमि पर पिछले सत्तर वर्ष पूर्व बना और कार्ररत जल निकासी नाला पिछले वर्ष दिसम्बर माह में असमाजिक तत्वों द्वारा बन्द करा दिए जाने से वहाँ की गलियों में घुटने तक गंदा पानी जमा हो जाने के कारण स्थानीय लोगों का जीना दूभर हो गया है,यदि हाँ,तो सरकार कबतक उक्त मोहल्ले में जल जमाव की समस्या का समाधन कराकर यहाँ के निवासियों को नरकीय जीवन से बाहर निकालने का विचार रखती है,नहीं तो क्यों?

स्थापना करना

*319

श्रीमती प्रतिमा कुमारी (127) (राजा पाकर):

कृषि :-

क्या मंत्री,कृषि विभाग, यह बतलाने का कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला सहित सम्पूर्ण बिहार में पान की खेती करने वाले किसानों के हित में सरकार की कोई विशेष योजना क्रियान्वित नहीं हो रही है ,यदि हाँ,तो सरकार राज्य में ‘पान विकास निगम’ की स्थापना कबतक करने का विचार रखती है,नहीं तो क्यों ?

मरम्मत करना

*320

श्री रामप्रवेश राय (100) (बरौली):

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली एवं मांझा प्रखंडों में पेयजल आपूर्ति हेतु लगाये गये सरकारी चापाकल मरम्मत के अभाव में खराब पड़े हैं;

2. क्या यह बात सही है कि पेयजल आपूर्ति हेतु कार्यपालक अभियंता गोपालगंज को नये चापाकल अधिष्ठापन एवं पुराने के मरम्मत हेतु अनुशंसा देने के उपरांत भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है;
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु बंद पड़े चापाकलों का सर्वेक्षण कराकर शीघ्र मरम्मत एवं नये चापाकलों के अधिष्ठापन हेतु भेजे गये अनुशंसा पर त्वरित कार्रवाई कराने एवं विलंब करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

सौन्दर्यकरण करना

*321

श्री विश्व नाथ राम (202) (राजपुर) :

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या बात सही है कि बक्सर जिला के प्रखंड इटाढ़ी के अन्तर्गत नगर पंचायत इटाढ़ी अवस्थित है ;
2. क्या यह बात सही है कि नगर पंचायत इटाढ़ी के अन्तर्गत 11 वार्ड पड़ते हैं, जिसमें अधिकांश वार्ड की गल्लियों में लाइट, स्वच्छ पानी की उचित व्यवस्था नहीं है साथ ही साथ वर्षा के दिनों में जल-जमाव के कारण गल्लियों की स्थिति जर्जर अवस्था में रहता है ;
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नगर पंचायत इटाढ़ी का सौंदर्यकरण हेतु गल्लियों में लाइट, स्वच्छ पानी, जल -जमाव एवं जर्जर गलियों का नव निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पर्चा निर्गत करना

*322

श्री राहुल तिवारी (198) (शाहपुर) :

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

1. क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के अंचल बिहियां के अन्तर्गत ग्राम दोघरा मीराचक के भूमिहीन अनुसूचित जनजाति के सदस्य लगभग-100 वर्षों से गढ़ा को भरकर अनावाद बिहार सरकार भूमि पर अपने परिवार के साथ झोपड़ी बनाकर शांति पूर्वक निवास कर रहे हैं तथा इनलोग के द्वारा मौजा-दोघरा,में खाता सं0-330, खेसरा-1563, 1567 रकबा-03 डी0 जमीन का बंदोबस्ती करने हेतु अंचलाधिकारी बिहियां को आवेदन समर्पित किया गया है, लेकिन अभी तक जमीन बंदोबस्ती कर पर्चा उपलब्ध नहीं कराया गया है, यदि हाँ सरकार इन सभी अनुसूचित जनजाति परिवार को स्थल जाँच कराकर पर्चा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खाद्यान्न की आपूर्ति

*323

श्री अजय कुमार सिंह (166) (जमालपुर, मुंगेर) :

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- 1. क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला में जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को ससमय खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं होने के

कारण आमजनता को ससमय राशन वितरण नहीं हो पा रहा है साथ ही खाद्यान्न की आपूर्ति हेतु बहाल संवेदकों को विगत चार महीने से वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जिले में खाद्यान्न की आपूर्ति व ससमय वितरण के साथ संवेदकों को वेतन देने का विचार रखती हैं नहीं, तो क्यों ?

शुद्ध पेयजल की आपूर्ति

***324 श्री मुहम्मद इजहार असफी (55) (कोचाधामन):**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत प्रखण्ड-कोचाधामन में हर घर नल का जल निश्चय-2 योजना के तहत 100 नए पेयजल प्लांट स्थापित करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है, परन्तु प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत निविदा की प्रक्रिया अब तक नहीं होने के कारण कार्य स्थल पर कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है, यदि हाँ, तो सरकार निविदा की प्रक्रिया शीघ्र कराते हुए प्लांट स्थापित कर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पोर्टल पर उपलोड करण

***325 श्री सैयद रूकनुददीन अहमद (57) (बैसी):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने का कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि पूर्णिया जिला के वायसी विधान सभा अनतर्गत दोनों अंचल वायसी एवं डगलआ में अंचलाधिकारी द्वारा अस्वीकृत किए गए नामांकरण वाद का भूमि सुधार उपसमहर्ता के न्यायालय में अपील करने के लिए सत्यापित प्रति राजस्व विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं करता है;

2. क्या यह बात सही हैं कि उक्त पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं करने के कारण बाद के निपटारा में महिनो का समय लग जाता है;

3. यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार नामांकरण वाद को सत्यापित प्रति पोर्टल पर उपलोड करते हुए स-समय निपटारा करने का विचार रखती है हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?

सत्यापित करना

***326 श्री राम सूरत कुमार (89) (औराई):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत औराई, कटरा एवं अन्य कई अंचलों में चकबंदी लागू नहीं है;
2. क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत अंचल औराई के मौजा हलीमपुर, थाना नंबर-96 में आज तक चकबंदी खातियान का न तो वितरण किया गया, न ही उसकी मूल प्रति अभिलेखागार में जमा है और उक्त मौजा चकबंदी अधिनियम 26(क) के अंतर्गत अधिसूचित भी नहीं किया गया है, तथा दिनांक 19.01.2018 को अधिसूचना सं0-12/चक.मि.09.03.15-54/चक के तहत औराई की चकबंदी प्रक्रिया रद्द हो चुकी है परन्तु रद्द चकबंदी को गलत ढंग से जमाबंदी रजिस्टर-2 बनाकर भूमि संबंधित कार्रवाई हो रही है एवं भूमि अपर समाहर्ता के द्वारा उक्त रजिस्टर को सत्यापित भी कर दिया गया है,
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार इसकी जाँच कराकर इसमें संलिप्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर कब तक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

***327 श्री अखतरुल ईमान (56) (अमौर):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अंतर्गत अमौर प्रखण्ड के अधान पंचायत के राजस्व कर्मचारी मनीष कुमार के विरुद्ध विभाग द्वारा प्रपत्र 'क' गठित होने के बावजूद भी वे अमौर अंचल में अबतक कार्यरत है,
2. क्या यह बात सही है कि तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता बायसी अपने ज्ञापांक-1713 दिनांक-05.08.2024 द्वारा तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी से उनके विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु पत्राचार भी किया है, किन्तु फिर भी उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है,
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, जो राजस्व कर्मचारी (अधांग) अमौर पर अबतक विभागीय कार्रवाई नहीं करने का क्या औचित्य है ?

पुनर्निर्माण करना

***328 श्री कुंदन कुमार (146) (बेगूसराय):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या-23 अन्तर्गत विष्णु सिनेमा चौक से दिपशिखा चौक तक जाने वाली 1 कि०मी० लंबी सड़क अतिजर्जर अवस्था में रहने के कारण शहरवासियों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जर्जर सड़क का पुनर्निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*329 श्री अशोक कुमार चौधरी (92) (सकरा):

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि पटना जिला मुख्यालय नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नं.-17 अन्तर्गत चौदपुर बेला में स्व0 जामुन राज जी के मकान से आनंद कुमार के मकान तक U/G drain and P.C.C. Road Work हेतु निविदा आमंत्रण सूचना-23/NCD/2025 दिनांक 22.05.2025 जारी की गयी है,
2. क्या यह बात सही है कि उक्त योजनान्तर्गत पूर्व निर्मित पी.सी.सी. सड़क को तोड़कर मलवा हटाये बिना नई सड़क का निर्माण किये जाने से दर्जनों मकान सड़क से नीचे हो जाएँगे, जिससे आमलोगों की कठिनाइयाँ और बढ़ जाएगी,
3. यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त पथ में पूर्व निर्मित पी.सी.सी.सड़क को पूरी तरह से हटाकर नई सड़क/ नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*330 श्री कुमार कृष्णा मोहन उर्फ सुदय यादव (216) (जहानाबाद):

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि छपरा जिला के मढ़ौरा प्रखण्ड अन्तर्गत सलीमापुर पंचायत के ग्राम नेथुआ में सरकारी जमीन है जिसका खाता नं.-17,84, सर्वे नं0-549,550,558,569 एवं थाना नं0-52 है;
2. क्या यह बात सही है कि उक्त सरकारी भूमि पर असमाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है;
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निजात दिलाना

*331 श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन (133) (समस्तीपुर):

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर प्रखण्ड अंतर्गत मोर्दीबा, बाजितपुर, छतौना, विक्रमपुर बांदे, नीरपुर, केवस निजामत पंचायतों में नल-जल योजना से वंचित बसावटों में पेय-जल की गंभीर समस्या होने से आम-जन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो उक्त पंचायतों में सरकार नल-जल योजना से वंचित बसावटों में

पेय-जल की समस्या का कब तक स्थाई निदान कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*332 श्री विनय कुमार (225) (गुरुआ):

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने का कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरुआ प्रखण्ड अन्तर्गत दुब्बा पंचायत के ग्राम परसावाँ में लगभग 6 माह तथा फतुआचक में लगभग 8 माह से मोटर खराब रहने के कारण नल -जल की सुविधा से लोग वंचित हैं, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करते हुए उक्त दोनों गाँव में नल जल पूर्ण सुचारु रूप से चालू कराने का विचार रखती है ,नहीं तो क्यों?

सड़क का निर्माण

*333 श्री बीरेन्द्र कुमार (139) (रोसड़ा):

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे की:-

1. क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पाटलीपुत्रा नगर निगम क्षेत्र में घुड़दौड़ रोड से प्रहलाद सिंह पथ का जुड़ाव नहीं रहने के कारण दिघा एवं राजीव नगर मोहल्ला के निवासियों को पाटलीपुत्रा जं० जाने में 08 किमी की लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त नगर निगम क्षेत्र में स्थित घुड़दौड़ रोड से प्रहलाद सिंह पथ को जोड़ने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

प्लांट का निर्माण

*334 श्री छत्रपति यादव (149) (खगड़िया):

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला मुख्यालय में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु दिनांक- 28.02.2019 को तत्कालीन मंत्री जल संसाधन विभाग, भारत सरकार द्वारा शिलान्यास किया गया था लेकिन निर्माण हेतु विभाग द्वारा अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है,यदि हाँ, तो सरकार उक्त शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है,नहीं तो क्यों?

दोषी पर कार्रवाई

*335

श्री जनक सिंह (116) (तरैया):

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने का कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि सारण जिला के तरैया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ईसुआपुर प्रखंड के डोईला में विगत 2 वर्षों से जलमीनार कार्यरत नहीं रहने के कारण पानी का संचालन सही रूप से नहीं होने के फलस्वरूप स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जलमीनार से पानी का संचालन सही रूप से करने एवं इसकी जाँच कराकर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

फर्जी बंदोबस्ती रद्द करना

*336

श्री विद्या सागर केशरी (48) (फोर्बेसगंज):

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

1. क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज अंचल कार्यालय के ज्ञापन संख्या 1835, दिनांक-16.06.2017 के आलोक में हल्का-04 के सम्बंधित मामले में एक ही परिवार के द्वारा फर्जी तरीके से मौजा बाघमारा, खमकोल, खैरखा, अम्हारा, पोटरी, डुमरिया, रंगदाहा, बेलय एवं अन्य मौजा में लगभग 89 एकड़ सरकारी भूमि का बंदोबस्ती करा लिया गया है ?

2. क्या यह बात सही है कि वर्णित मामले में अंचलाधिकारी फारबिसगंज द्वारा जांचोपरांत सभी फर्जी बंदोबस्ती रद्द करने की अनुशंसा करने के बाद भी आजतक फर्जी बंदोबस्ती रद्द नहीं हुआ है ;

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक वर्णित फारबिसगंज अंचल के लगभग 89 एकड़ सरकारी भूमि के फर्जी बंदोबस्ती को रद्द कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

शवदाह गृह का निर्माण

*337

श्री अवध विहारी चौधरी (105) (सीवान):

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि सीवान जिला मुख्यालय नगर परिषद के वार्ड नं०-18, में सीवान कचहरी रेलवे ढाला से पश्चिम श्रीनगर खादी भंडार से दक्षिण जाने वाली सड़क (न्याय मार्ग) से होकर दक्षिण की तरफ दाहा नदी के किनारे जाती है, उक्त नदी किनारे पर शवदाह गृह (मुक्तिधाम) नहीं रहने के कारण स्थानीय जनता को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थल पर शवदाह गृह का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

जल जमाव से मुक्ति

*338 डॉ. सी०एन० गुप्ता (118) (छपरा):

नगर विकास एवं आवास क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत छपरा शहर के स्टेट बैंक कॉलोनी में विगत वर्षों से जल जमाव हो रहा है , जिसके कारण वहाँ संक्रामक बीमारियाँ होती रहती हैं, जिसकी शिकायत प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा वर्ष -2024 में दर्जनों बार नगर प्रशासन, छपरा से करने के बाद भी उक्त कॉलोनी को आज तक जल जमाव से मुक्ति नहीं मिली है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कॉलोनी में हो रही जल जमाव से मुक्ति दिलाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

ऑपरेटर स्थाई करना

*339 श्री अजय कुमार (138) (बिभूतिपुर):

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के बिभूतिपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत नल-योजना के तहत ऑपरेटर की स्थायी नियुक्ति नहीं होने से पूरे क्षेत्र में पानी की आपूर्ति सुचारु रूप से नहीं हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक ऑपरेटर की स्थायी नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई

*340 श्री सत्यदेव राम (107) (दरौली):

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि सारण जिला अंतर्गत दिघवारा अंचल के ग्राम रामपुर आमी निवासी श्री प्रयाग सिंह के द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या-285/2023-24 एवं 286 आर 27/2023-24 तथा परिमार्जन संख्या 20231702011863 , 20231702011864, 20231701011865 दिनांक 26.06.2023 एवं 20241704000233 दिनांक 04.01.2024 द्वारा दिघवारा अंचल कार्यालय में आवेदन दिया गया था,

2. क्या यह बात सही है कि उक्त दाखिल खारिज दोनों वाद संख्या को नियम के विरुद्ध रद्द कर दिया गया तथा चारों आवेदित परिमार्जन संख्या पर दो वर्ष उपरांत भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है;

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कबतक इसके लिए दोषी पदाधिकारी / कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुये उक्त सभी वादों का नियमानुसार निष्पादन करवाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

ड्रेनेज का निर्माण

*341 श्री अजीत शर्मा (156) (भागलपुर):

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलामुख्याल नगर निगम अंतर्गत कुल 51 वार्ड हैं, परंतु एक भी वार्ड से जल निकासी हेतु ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं रहने के कारण बरसात में भागलपुर शहर जल जमाव से त्रस्त रहता है, यदि हाँ, तो सरकार भागलपुर नगर निगम क्षेत्र से जल निकासी हेतु ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था कब तक करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

मुआवजा देना

*342 श्री दिलीप राय (26) (सुरसंड):

पशु एवं मत्स्य संसाधन :-

क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रून्नीसैदपुर प्रखण्ड में श्री रंजीत मिश्र, पिता- स्व. शत्रुघ्न मिश्र, ग्राम- भरेहवा, पोस्ट- बघाड़ी के भैंस की मौत वर्ष 2024 में आग लगने के कारण हो गई थी जिसका अबतक पशु मौत पर मिलने वाला मुआवजा नहीं मिला है, यदि हाँ, तो सरकार श्री रंजीत मिश्र को पशु मौत पर मिलने वाला मुआवजा देने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

जलापूर्ति करना

*343 श्री महबूब आलम (65) (बलरामपुर):

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने का कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम के वार्ड नं0-27 अन्तर्गत करीब पांच हजार की आबादी वाला चिनाकोठी नामक एक दलित श्रमिकों की बस्ती है, जहाँ साफ पानी पीने की कोई भी व्यवस्था नहीं है जिसके कारण इस बस्ती के गरीबों को प्रतिदिन 40-50 रुपये तक का पानी खरीद कर पीना पड़ता है ,यदि हाँ तो सरकार तत्काल टैंकर से पीने का पानी उपलब्ध करवाकर स्थायी रूप से पीने का पानी उपलब्ध करवाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

जमीन मुहैया कराने

*344 श्री कुमार शैलेन्द्र (152) (बिहपुर):

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के बिहपुर विधानसभा अन्तर्गत नारायणपुर प्रखंड के जयपुर चूहर पूरब पंचायत के 27 महादलित परिवार गंगा कटाव से भूमिहीन हो गये हैं जिन्हें वर्ष 2012 में उक्त महादलित रोहित दास सहित 27 परिवार को सिंहपुर पश्चिम में तीन-तीन डिसमल गड्ढा में जमीन दिया गया जिसमें सालों भर पानी जमा रहता है , यदि हाँ , तो क्या सरकार उक्त महादलित परिवार को ऊँचे स्थान पर तीन-तीन डिसमल जमीन मुहैया कराने का विचार रखती है , नहीं तो क्यों ?

लक्ष्य प्राप्त करना

***345 श्री मुकेश कुमार यादव (27) (बाजपट्टी):**

सहकारिता :-

स्थानीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 17.06.2025 को प्रकाशित शीर्षक "गेहूँ अधिप्राप्ति का समय खत्म 118 एमटी खरीदारी के आलोक में क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला में सरकारी स्तर पर गेहूँ की खरीदारी विगत तीन वर्षों से निर्धारित लक्ष्य से कम हो रही है तथा इस वर्ष तीन माह की निर्धारित समय सीमा खत्म हो जाने के बाद भी मात्र 44 किसान से ही कुल 118.100 एमटी गेहूँ की खरदारी हुई है, यदि हाँ, तो सरकार निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कौन सा कदम कब तक उठाना चाहती है, नहीं तो क्यों?

पेयजल उपलब्ध कराना

***346 श्री पवन कुमार यादव (155) (कहलगांव):**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

1. क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के कहलगांव प्रखंड के ओगरी पंचायत अंतर्गत ग्राम लदमा वार्ड संख्या-9 खरवा टोला में लगभग 100 घर एवं सन्धौला प्रखंड के फाजिलपुर सकरामा पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या-1 ग्राम सकरामा पासवान टोला में शैलेश स्थान के आसपास लगभग 70 घर नल जल की सुविधा से वंचित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर पेयजल की सुविधा बहाल करने का विचार रखती हैं, नहीं तो क्यों?

योजना का लाभ देना

***347 डॉ. संजीव कुमार (151) (परबत्ता):**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

1. क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलांतर्गत परबत्ता प्रखंड के अगुवानी बस स्टैंड के पास वार्ड संख्या 10 हरिजन टोला, सियादतपुर अगुवानी वार्ड 19 ग्राम अगुवानी, खनुआ, राका टोले में नल जल की सुविधा नहीं है, यदि हाँ, तो

सरकार कबतक उपरोक्त वार्डों में नल जल योजना का लाभ पहुंचाने का कार्य पुरा करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

दर्जा देना

***348 श्री मनोज कुमार यादव (16) (कल्याणपुर):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

1. क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कल्याणपुर बाजार नगर पंचायत बनने की सभी अहर्ताओं को पूरा करता है, यदि हाँ, तो

सरकार कल्याणपुर बाजार को नगर पंचायत का दर्जा कबतक दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पानी की टंकी लगाना

***349 मो० आफाक आलम (58) (कसबा, पूर्णिया):**

नगर विकास एवं आवास क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1. क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखण्ड के नेहरू चौक से थाना जाने वाले चौक के पास पानी टंकी जो 10 वर्षों से जर्जर होने के कारण शुद्ध पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जर्जर बंद पड़े पानी टंकी के स्थान पर नया पानी की टंकी लगाकर पानी की सप्लाई शुरू कराने का विचार रखती नहीं, तो क्यों ?

जाँच करना

***350 श्री निरंजन कुमार मेहता (71) (बिहारीगंज):**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण :-

क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने का कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि जनवितरण प्रणाली के दुकान से उपभोक्ताओं को उसना चावल दिये जाने का प्रावधान है,
2. क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के बिहारीगंज विधान सभा क्षेत्र के बिहारीगंज प्रखण्ड के मोहनपुर पंचायत में जनवितरण प्रणाली की दुकान से महादलित टोला के उपभोक्ताओं को माह जनवरी एवं फरवरी 2025 में अरवा चावल की आपूर्ति की गयी तथा अभी भी बिहारीगंज विधान सभा क्षेत्र में अरवा चावल का ही आपूर्ति किया जा रहा है जो नियम विरुद्ध है;

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करते हुए उपभोक्ताओं को उसना चावल की आपूर्ति कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

स्वीकृति देना

*351 श्री विजय कुमार खेमका (62) (पूर्णिया):

पशु एवं मत्स्य संसाधन :-

क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि पूर्णिया जिलान्तर्गत पूर्णिया मत्स्य पालन केन्द्र परिसर में नर्सरी, तालाब, मत्स्य रोग लेबोरेट्री, पानी मिट्टी जांच केन्द्र, स्टोक पोन्ड निर्मित है,
2. क्या यह बात सही है कि उक्त परिसर में मत्स्य पालन हेतु प्रशिक्षण देने के लिए एक आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र सह भवन नहीं होने के कारण काफी कठिनाई होती हैं;
- 3 . यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूर्णिया में आवासीय मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र भवन की स्वीकृति एवं निर्माण का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

नाला निर्माण

*352 श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (194) (आरा):

नगर विकास एवं आवास :-

स्थानीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 08.06.2025 को प्रकाशित शीर्षक 'घर में ही फंसे लोग, निर्माण एजेंसी को फ्रिक नहीं' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि पटना एवं अन्य जिलों के शहरी क्षेत्रों में सड़क निर्माण एजेंसियों द्वारा नगर निगम के आदेशों की अवहेलना करते हुये रोड एवं नाला निर्माण कार्य के लिए प्रायः आवासीय इलाकों के सड़कों को तय मानक से अधिक खोदकर छोड़ने एवं स-समय निर्माण नहीं कराने से मुहल्ले के खासकर बुजुर्ग, महिला एवं बच्चे अक्सर दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नगर निगम के आदेशों की अवहेलना करनेवाले एजेंसियों एवं लापरवाही बरतने वाले विभागीय पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

शौचालय का निर्माण करना

*353 श्री अरूण सिंह (213) (काराकाट):

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत काराकाट (गोड़ारी) नगर पंचायत मुख्यालय में एक भी जनउपयोगी सुलभ शौचालय नहीं है एवं पूर्व में पंचायत स्तर पर निर्मित शौचालय उपयोग के लायक नहीं है, जिससे आए दिन आमजनों एवं महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है,
2. यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार आमजनों एवं महिलाओं की समस्याओं को देखते हुए नगर पंचायत काराकाट (गोड़ारी) के मुख्यालय में आधुनिक शौचालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

कार्रवाई करना।

*354 श्री विजय कुमार (169) (शेखपुरा):

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला के अरियरी प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत डीहा में नल-जल योजना का उद्घाटन किया गया था उस समय ग्राम डीहा के वार्ड नं०-6 में प्राइवेट बोरिंग से पानी की जलापूर्ति कराई गई थी तथा वर्ष 2022 में विभागीय स्तर पर उक्त वार्ड में बोरिंग करायी गयी थी जिससे आज तक एक बूंद भी पानी की आपूर्ति नहीं हो पाई है, यदि हाँ, तो क्या इसकी जाँच कराकर सरकार 2022 में की गई बोरिंग में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना का लाभ देना

*355 श्री गोपाल रविदास (188) (फूलवारी):

कृषि :-

क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि भारत सरकार द्वारा कृषि सम्मान योजना के तहत 6 हजार रुपये प्रतिवर्ष की राशि उन्हीं किसानों को दिया जाता है, जिनके पास जमीन का रसीद हो, जबकि राज्य में पट्टा पर खेती करने वाले किसानों की आबादी 80 प्रतिशत है, जिन्हें उक्त सम्मान योजना की राशि नहीं मिल पाती है, यदि हाँ, तो सरकार पट्टा पर खेती करने वाले बटायदार किसानों को उक्त सम्मान योजना का लाभ दिलाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

सड़कों का पुनर्निर्माण

*356 श्री तारकिशोर प्रसाद (63) (कटिहार):

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला मुख्यालय नगर निगम सहित बिहार के सभी स्थानीय नगर निकायों में हर घर नल का जल योजना के कार्यान्वयन में पक्की सड़कों को तोड़कर जल का पाईप लाइन बिछाया जाता है, लेकिन बुडको द्वारा सड़क के तोड़े हुए भाग का पुनः पक्कीकरण नहीं कर यथावत छोड़ दिया जाता है,
2. क्या यह बात सही है कि तोड़े हुये सड़कों का पुनर्निर्माण नहीं होने के कारण आवागमन में हो रही कठिनाई के साथ-साथ सरकारी राशि की बर्बादी भी हो रही है ,
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार टूटे हुए सड़कों का पक्कीकरण एवं संबंधित अभियंता एवं संवेदक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

दर्जा देना

***357 श्री भीम कुमार सिंह (219) (गोह) :**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत गोह एवं हसपुरा बाजार नगर परिषद बनने की सभी अर्हताओं को पूरा करता है, यदि हाँ तो सरकार कब तक गोह एवं हसपुरा बाजार को नगर परिषद का दर्जा दिलाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

दर्जा देना

***358 मो० इसराईल मंसूरी (95) (कांटी):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि राज्य में नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत में सफाई कर्मों के रूप में बाल्मिकी, मेहतर, भंगी सहित अन्य समुदाय वर्ग के लोग कार्यरत हैं जिन्हें 7 से 8 हजार मात्र मासिक मानदेय पर ठेकेदारों के अधीन कार्य करना पड़ता है तथा उन्हें ठेकेदारों के दमन एवं शोषण का शिकार होना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सफाई कर्मियों को ठेकादारी प्रथा के स्थान पर सरकारी कर्मों का दर्जा देने का विचार रखती है ,नहीं, तो क्यों ?

चापाकल मरम्मत

***359 श्री अजय यादव (233) (अतरी):**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत प्रखण्ड अतरी एवं प्रखण्ड खिजरसराय में चापाकल मरम्मती का कार्य संवेदक द्वारा कराया जा रहा है,
2. क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्डों में चापाकल मरम्मती का कार्य में संवेदक द्वारा एक भी चापाकल के मरम्मती में पाईप एवं सलेंडर नहीं बदला जाता है केवल वौकेट एवं वासर लगाकर छोड़ दिया जाता है जिससे चापाकल की मरम्मती सही ढंग से नहीं हो पाता है,
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्डों में सही तरीके से चापाकल मरम्मत करवाते हुए संवेदक पर कार्रवाई करवाने की विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

हाई मास्क लाईट लगाना

***360 श्री संतोष कुमार मिश्र (209) (करगहर):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत नगर पंचायत कोचस एनएच- 319 पर अवस्थित रहने के बावजूद भी कोचस चौक सूर्य मंदिर पोखरा, कोचस गांव के गढ पर एवं सब्जी मार्केट सहित किसी भी वार्ड में हाई मास्क लाईट नहीं लगाया गया है, जिसके कारण आमजनता को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नगर पंचायत कोचस के उक्त वर्णित स्थानों पर हाई मास्क लाईट लगाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

परिसर का निर्माण

***361 श्री समीर कुमार महासेठ (36) (मधुबनी):**

कृषि :-

क्या मंत्री, कृषि विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला पूर्णतः कृषि पर आधारित जिला है, परन्तु मधुबनी शहर के पास कृषि उत्पादों के रख- रखाव एवं बिक्री के लिए आधुनिक बाजार परिसर उपलब्ध नहीं रहने के कारण किसानों को उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो सरकार मधुबनी शहर के पास कृषि उत्पाद के व्यापार हेतु बाजार परिसर का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

***362 श्री अमरजीत कुशवाहा (106) (जीरादेई):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि सिवान जिला अन्तर्गत नगर पंचायत मैरवा में बकाया होल्लिंग टैक्स पर 18 प्रतिशत ब्याज जोड़कर लिया जा रहा है जिससे होल्लिंग टैक्स के बराबर ब्याज हो जा रहा है,
2. क्या यह बात सही है कि नगर पंचायत शहर के सीमावर्ती गाँवों को जोड़कर मैरवा नगर पंचायत का गठन किया गया है, जहाँ ज्यादातर लोग मजदूरी तथा छोटे-छोटे कारोबार कर अपना जीवन यापन करते हैं एवं इस महंगाई के दौर में इतना ज्यादा टैक्स देने में गरीब लोग असमर्थ हैं;
3 . यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक होल्लिंग टैक्स की वसूली में ब्याज माफ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पर्चा देना

***363 श्री मुरारी मोहन झा (86) (केवटी):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने का कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला अंतर्गत सिंघवारा प्रखण्ड के ग्राम- बहुआरा पंचायत- हरिहरपुर पश्चिमी, केवटी प्रखंड अंतर्गत ग्राम- बगडीहा, पथरा खिरमा, बेहटवारा, बाढ समैला सहित अन्य पंचायतों में तालाब या सड़क किनारे बसे भूमिहीन परिवारों को जमीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण सरकारी लाभ से बंचित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थानों पर बसे भूमिहीन परिवार को जमीन उपलब्ध कराकर वासगीत पर्चा दिलाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

भूमि उपलब्ध कराना

***364 श्री शकील अहमद खाँ (64) (कदवा):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलांतर्गत कदवा प्रखंड के बिगाड़ा ग्रामपंचायत के सबनपुर ग्राम की लगभग दो हजार की आबादी को ग्रामपंचायत मुख्यालय कुरुम जाने के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण सड़क नहीं है जिसके कारण उक्त ग्रामवासियों को ग्रामपंचायत मुख्यालय जाने के लिए 50कि०मी० दूरी तय करनी पड़ती है , यदि हाँ, तो सरकार उक्त ग्रामवासियों को उक्त मुख्यालय में आवागमन हेतु सड़क निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

भुगतान करना

***365 श्री जितेंद्र कुमार (171) (अस्थावां):**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण :-

क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत स्थित पैक्सों द्वारा दो माह पूर्व ही धान अधिप्राप्ति के उपरांत चावल का 580 (पाँच सौ अस्सी) लॉट एस.एफ.सी. को दे चुके हैं, जिसकी कीमत लगभग 58 (अन्ठावन) करोड़ रुपये है;
2. क्या यह बात सही है कि दो माह बीत जाने के उपरांत भी अभी तक एस.एफ.सी. द्वारा पैक्सों को कोई भुगतान नहीं किया गया है, जिससे पैक्सों को काफी कठिनाइयों के साथ-साथ अतिरिक्त सूद का बोझ भी उठाना पर रहा है;
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एस.एफ.सी. द्वारा पैक्सों द्वारा पैक्सों को यथाशीघ्र

भुगतान कराते हुए अतिरिक्त सूद माफ करने का विचार रखती है, हॉ तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदोन्नति देना

***366 श्री शिव प्रकाश रंजन (195) (अगिआंव):**

पशु एवं मत्स्य संसाधन क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- 1.क्या यह बात सही है कि राज्य में मत्स्य विभाग के अन्तर्गत मत्स्य निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालय में पदस्थापित कनीय अभियंता से सहायक अभियंता की नियमित पदस्थापन या कार्यहित में कार्यकारी व्यवस्था के तहत प्रभार प्रदान करने में भी मत्स्य निदेशालय द्वारा निर्गत राज्य स्तरीय वरीयता सूची के आधार पर पदोन्नति देना है, जबकि उक्त विभाग में पदोन्नति में राज्य स्तरीय वरीयता सूची जो स्थायी है के आधार पर नहीं किया जा रहा है, यदि हॉ, तो सरकार उक्त विभाग में पदोन्नति में राज स्तरीय वरीयता सूची जो स्थायी एवं प्रमाणित है, के आधार पर करने का विचार रखती है, हॉ तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई

***367 श्रीमती नीतु कुमारी (236) (हिसुआ):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के हिसुआ नगर परिषद् में अनेकों भ्रष्टाचार एवं वितीय अनियमितताएँ जैसे निविदा एन आई टी नं. 04/24-25 में घालमेल, जीईएम पोर्टल से मनमाने सामग्रियों की खरीद, सफाई, सौन्दर्यीकरण, पेंटिंग व नुकव्ड नाटक आदि कार्य पसंदीदा एजेंसी को आवंटित करना, प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन में अनियमितता कार्यपालक पदाधिकारी श्री अतीश रंजन द्वारा करवाया जा रहा है,
2. क्या यह बात सही है कि हिसुआ नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी के पूर्व के पदस्थापन स्थल कटोरिया, बाँका में इनके विरुद्ध लगे वितीय अनियमितताओं के आरोपों की जिलाधिकारी, बाँका की जाँच रिपोर्ट पर विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है,
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार हिसुआ नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी श्री अतीश रंजन पर जाँच कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

नाला निर्माण

***368 श्री संदीप सौरभ (190) (पालीगंज):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1.क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पालीगंज नगर पंचायत के पुरनी सरैया में जल निकासी हेतु नाला नहीं रहने के कारण पूरा मोहल्ला बरसात में जलमग्न हो जाता है, जिससे आम जनता को आवागमन में भीषण संकट का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पालीगंज नगर पंचायत के पुरनी सरैया में जल निकासी हेतु नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

जलापूर्ति करना

*369 श्री आनन्द शंकर सिंह (223) (औरंगाबाद):

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, लोकस्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत अमृत योजना फेज-2 में औरंगाबाद नगर परिषद में पेयजल की समस्या से जूझ रहे वार्डों को सोन नदी से जल आपूर्ति की जानी है तथा निविदा प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, परन्तु संवेदक द्वारा कार्यों में शिथिलता के कारण लोगों को अभी तक जलापूर्ति नहीं हो पा रही है; यदि हाँ, तो सरकार पेयजल आपूर्ति शीघ्र कराने का विचार रखती है, तो नहीं तो क्यों ?

अवैध निर्माण

*370 श्री मिथिलेश कुमार (28) (सीतामढ़ी):

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला मुख्यालय नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नं0-11 के सर्वे नं0-142 एवं 143 पी0आई0डी0 संख्या 243/ए0 पर डॉ0 अनिता सिंह पति डॉ0 संजय सिंह द्वारा निगम के अनुमति के बगैर एवं बिना नक्शा पास कराये भवन निर्माण किया जा रहा है साथ ही पड़ोसी हिमांशु कुमार की जमीन को भी अतिक्रमण किया गया है, जिसके संबंध में पीडित परिवार के अभिभावक मनोज कुमार द्वारा जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी को विगत 6 माह पूर्व आवेदन दिया गया है लेकिन आज तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अवैध निर्माण के विरुद्ध कबतक कार्रवाई कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*371 श्री सुरेन्द्र राम (119) (गरखा):

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत अंचल अधिकारी, छपरा सदन के जमाबंदी पुर्नजीवित अभिलेख संख्या-25/23-24 में जो लगान रसीद जमा किया गया है उसमें जमाबंदी संख्या-22 अंकित है लेकिन राजस्व कर्मचारी द्वारा दाखिल-खारिज मुकदमा संख्या-5318/22-23 में जमाबंदी संख्या-512/2840 बताया गया है, तथा अपर समाहर्ता (राजस्व) सारण के पत्रांक-1854 दिनांक-29.06.2024 द्वारा इस संबंध में आदेश पारित किया गया है, यदि हाँ, तो

सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुल का निर्माण

***372 श्रीमती मंजु अग्रवाल (226) (शेरघाटी):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत नगर परिषद् शेरघाटी के वार्ड संख्य 18-19 अवस्थित बैंक ऑफ़ बडौदा के समीप लगभग 50 वर्ष पूर्व निर्मित पुलिया/नाला का मुहाना अत्यधिक संकीर्ण रहने के कारण प्रायः नालियों का गंदा पानी अधिकांशतः घरों में चला जाता है, जिससे वहाँ के निवासियों में बिमारिया फैलने की आशंका ब्याप्त रहती है , यदि हाँ, तो सरकार कबतक जनहित में उक्त स्थल पर नये पुल का निर्माण करवाने का विचार करती है, नहीं तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त करना

***373 श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह (179) (बाढ़):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि पटना जिला मुख्यालय के बेली रोड पर स्थित आई.सी. होण्डा शो रूम के बगल से विजय नगर मुहल्ला जाने वाली सड़क में पटेल चौक के पास रोड नं0-07, जो 16 फीट चौड़ी सड़क है, उस सड़क को मिथिलेश सिंह के घर के पास श्रीमती सरोज देवी, श्री देवेन्द्र प्रसाद एवं अन्य के द्वारा सड़क पर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे वाहनों के आवागमन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सड़क को अतिक्रमण मुक्त करते हुए आवागमन सुचारु रूप से संचालित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शवदाह गृह का निर्माण

***374 श्री देवेश कान्त सिंह (111) (गोरियाकोठी):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या बात सही है कि सिवान जिला अन्तर्गत नगर पंचायत बसंतपुर में एक भी शवदाह गृह नहीं है, जिससे स्थानीय लोगों को मृत व्यक्तियों की अंत्येष्टि में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक नगर पंचायत बसंतपुर के वार्ड संख्या-03 में बसंतपुर मठिया घाट पर शवदाह गृह का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

जलापूर्ति करना

*375 श्री इजहारूल हुसैन (54) (किशनगंज):

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने का कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला अन्तर्गत पोठिया प्रखंड के गोरूखाल पंचायत के वार्ड नं.- 5,7,8,11,12 एवं 13 में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत नल जल योजना कार्य अभी तक पूर्ण नहीं कराया गया है जिसके कारण अब तक सुचारु रूप से जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे ग्रामीण इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार कब उक्त स्थानों में नियमित रूप से जल की आपूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

कब्जा दिलाना

*376 श्री राकेश कुमार रौशन (174) (इस्लामपुर, नालन्दा):

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के इस्लामपुर एवं एकगंरसराय प्रखंड के क्रमशः 261 एवं 291 भूमिहीन परिवारों को पाँच-पाँच डिसमिल जमीन का पर्चा दिया गया है, जिसमें से मात्र 40 प्रतिशत लाभुकों को ही अभी तक जमीन पर दखल कब्जा दिलाया गया है जिससे शेष पर्चाधारी में रोष व्याप्त है, यदि हाँ तो सरकार कब तक शेष बचे पर्चाधारी भूमिहीनों को जमीन पर दखल कब्जा दिलाना चाहती है, नहीं तो क्यों?

जल उपलब्ध

*377 श्रीमती गायत्री देवी (25) (परिहार):

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड एवं सोनवरसा प्रखंड में वाटर लेवेल बहुत नीचे चला गया है, लोग नल के जल पर ही आश्रित हैं,
2 . क्या यह बात सही है कि परिहार प्रखंड के सुतिहारा वार्ड नं0 11, फुलहटा वार्ड नं0 -4 धरहावा वार्ड- 3,7, पीपरा विशनपुर वार्ड नं0 3, पकड़ीया वार्ड नं0- 4,6, तथा सोनबरसा प्रखंड के कहचरीपुर- 9,12,13,14,15 दोस्तिया वार्ड नं0-9, सिंगवाहनी वार्ड नं0 2,6 में लोगों को नल का जल नहीं मिल पा रहा है;
3 . यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त वार्डों के लोगों को शुद्ध नल का जल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?

किराया बढ़ाना

*378 श्री ललित नारायण मंडल (157) (सुल्तानगंज):

पशु एवं मत्स्य संसाधन :-

क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना के संकल्प संख्या - 2225, दिनांक-24.08.2013 एवं स्वीकृत आदेश सं0-1412, दिनांक- 14.06.2013 के आलोक में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, शेरगढ़, प्रखंड- गोगरी जमालपुर, जिला खगड़िया की स्थापना की गयी है,
2. क्या यह बात सही है कि सरकारी भवन नहीं रहने के कारण निजी मकान में पशुचिकित्सालय संचालित किया जा रहा है जिसका किराया 12 वर्षों से नहीं बढ़ाया गया है जबकि प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा इस संबंध में विभाग को पत्राचार किया गया है;
- 3 . यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त निजी मकान में संचालित पशु चिकित्सालय के भवन का किराया बढ़ाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?

कोल्ड स्टोरेज का निर्माण

*379 श्री रणविजय साहू (135) (मोरवा):

कृषि :-

क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा किसानों के हित में सरकारी कोल्ड स्टोरेज का निर्माण का प्रावधान है,
2. क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखण्ड अन्तर्गत मोतीपुर में वृहद सब्जी मंडी है जहाँ कोई सहकारी कोल्ड स्टोरेज नहीं होने के कारण किसानों को सब्जियों के समुचित मूल्य पर भंडारण एवं संरक्षण की सुविधा प्राप्त नहीं है जिससे उनको आर्थिक क्षति होती है,
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त सब्जी मंडी के निकट एक सरकारी कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार करना

*380 श्री रामबली सिंह यादव (217) (घोसी):

कृषि :-

क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला में कृषि बाजार समिति हुलासगंज बाजार के बीचो-बीच जीर्ण-शीर्ण स्थिति में अवस्थित है, जहाँ कचड़ों का अंबार लगा रहता है,
2. क्या यह बात सही है कि उक्त बाजार समिति में किसी भी उत्पाद का खरीद बिक्री नहीं होता है फिर भी बाजार समिति की निविदा के नाम पर समिति क्षेत्र से बाहर यत्र-तत्र फल सब्जी बेचने वालों तथा सड़क पर चलने वाली गाड़ियों से टैक्स उगाही की जाती है, जिसे प्रशासन भी जायज मानती है,
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक उक्त बाजार समिति का जीर्णोद्धार करने तथा

समिति क्षेत्र से बाहर टैक्स वसूली पर रोक लगाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

जांच लैब खेलने

*381 श्रीमती प्रतिमा कुमारी (127) (राजा पाकर) :

पशु एवं मत्स्य संसाधन :-

क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

1. क्या यह बात सही है कि बिहार के सभी प्रखंड पशुपालन अस्पतालों में जानवरों की बिमारियों की जांच लैब की व्यवस्था नहीं है ;
2. क्या यह बात सही है कि जांच लैब के अभाव में पशुओं की बिमारियों का सही से इलाज नहीं होने के कारण प्रदेश को पशुधन की हानि झेलना पड़ता है;
3. यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बिहार के सभी प्रखंडों के पशुपालन अस्पतालों में जानवरों की बिमारियों की पहचान के लिये जांच लैब खोलने का विचार रखती है, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

जीर्णोद्धार करना

*382 श्री राम सूरत कुमार (89) (औराई):

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कटरा प्रखण्ड के यजुआर पूर्वी, यजुआर पश्चिमी, यजुआर मध्य एवं लखनपुर पंचायत के आस-पास के गाँवों में अप्रैल से जुलाई महीने तक प्रत्येक वर्ष सुखाड़ होने के कारण चापाकल सूखने के साथ लेयर नीचे चला जाता है तथा उक्त पंचायत में बड़े एवं छोटे जल मीनार है जो 90 प्रतिशत बंद है जिसके कारण आमजनता को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त क्षेत्र में शुद्ध पेयजल हेतु स्थाई व्यवस्था एवं पुराने जलमीनार को कब तक सुदृढ़ कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

बीमा का लाभ देना

*383 श्री कुंदन कुमार (146) (बेगूसराय) :

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने का कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार द्वारा नगर निकाय जन-प्रतिनिधियों को मिलने वाल भत्ते काफी कम है साथ

ही उनका हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है ;

2. क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार के द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों के भत्ते में 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी है, साथ ही सामान्य रूप से मृत्यु होने पर 05 लाख उनके परिवार का दिये जाने का निर्णय लिया गया, जबकि नगर निकाय जन-प्रतिनिधियों के भत्ते एवं अन्य सुविधा को यथावत ही रखा गया है,

3. यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक पंचायत प्रतिनिधियों के आधार पर ही नगर निकाय जन-प्रतिनिधियों के भत्ते में बढ़ोत्तरी एवं हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा देने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

समय सीमा बढ़ाना

***384 श्री विनय कुमार (225) (गुरुआ):**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण :-

क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने का कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि राज्य में 15 जून, 25 तक सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति का समय सीमा निधारित किया गया था जो समाप्त हो चुका है,

2. क्या यह बात सही है कि राज्य में धान अधिप्राप्ति का कार्य पैक्सों/ व्यापार मंडल द्वारा कराया जाता है, जिसे बैंको से ऋण दिया जाता है जिसमें सरकार द्वारा मात्र 15 दिनों का ब्याज की राशि दिया जाता है, जबकि पैक्सों द्वारा सी.एम.आर जमा करने के पश्चात 01 से डेढ़ माह तक एस.एफ.सी द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है जिससे पैक्सों पर सुद की राशि का अतिरिक्त बोझ के कारण पैक्सों को हानि उठानी पड़ती है,

3. यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सी.एम.आर का समय सीमा बढ़ाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

दोषी पर कार्रवाई

***385 श्री जनक सिंह (116) (तरैया):**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने का कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि सारण जिला के तरैया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तरैया मुख्यालय में विगत 2 वर्षों से जलमीनार कार्यरत नहीं रहने के कारण पानी का संचालन सही रूप से नहीं होने के फलस्वरूप स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जलमिनार से पानी का संचालन सही रूप से करने एवं इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?

विचार करना

*386 श्री अवध विहारी चौधरी (105) (सीवान):

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत सीवान प्रखंड के पंचलखी पंचायत का विकास का कार्य सीवान सदर प्रखंड से होता है,
2. क्या यह बात सही है कि पंचलखी पंचायत का राजस्व का कार्य मैरवा अंचल से होता है जबकि पंचलखी से मैरवा की दूरी 22 किमी है;
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार पंचलखी पंचायत के राजस्व का कार्य मैरवा अंचल से अलग कर सीवान सदर अंचल में कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

नाला की सफाई

*387 डॉ. सी०एन० गुप्ता (118) (छपरा):

नगर विकास एवं आवास क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत छपरा शहर के वार्ड नं०- 24 से समाहरणालय होते स्वराज एजेंसी के पास खनुआ नाला का पानी गिरता है, उक्त नाला का अतिक्रमण और सफाई नहीं होने के कारण बरसात सहित अन्य दिनों में पानी सड़क पर जमा हो जाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त नाला की सफाई कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

ऋण माफ करना

*388 श्री अजय कुमार (138) (बिभूतिपुर):

कृषि :-

क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के बिभूतिपुर विधान सभा क्षेत्र के किसान के.सी.सी. लोन लेकर खेती करते आ रहे हैं;
2. क्या यह बात सही है कि विगत चार वर्षों से ओलावृष्टि, असमय बरसात एवं बाढ़-सुखाड़ से किसानों की खेती नष्ट होने के कारण, किसान के.सी.सी. लोन चुकता करने में असमर्थ है;
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक किसानों का के.सी.सी. लोन माफ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अंडरग्राउंड वायरिंग करना

*389 श्री अजीत शर्मा (156) (भागलपुर):

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, उर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

1. क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत भागलपुर नगर निगम में स्मार्ट सिटी के तहत चयनित 15 वार्डों के सभी बिजली पोलों को हटा कर अंडरग्राउंड वायरिंग करना था, परंतु भागलपुर स्मार्ट सिटी एरिया में वायरिंग अंडरग्राउंड नहीं किया गया है; यदि हाँ तो क्या सरकार भागलपुर स्मार्ट सिटी एरिया के अंतर्गत पड़नेवाले बिजली पोलों को हटाकर अंडरग्राउंड वायरिंग के माध्यम से बिजली आपूर्ति कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ;

पर्चा देना

*390 श्री दिलीप राय (26) (सुरसंड):

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सुरसंड प्रखण्ड के कुम्मा पंचायत के वार्ड संख्या 04 में खाता संख्या-1022, खेसरा-2819 व 2820, रकवा-4 डी. बिहार सरकार की जमीन है, तथा इस सरकारी जमीन पर 70 वर्ष पूर्व से भूमिहीन परिवार मकान बना कर रह रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जमीन पर रहने वाले भूमिहीन परिवार को उक्त जमीन का पर्चा देने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*391 श्री मुकेश कुमार यादव (27) (बाजपट्टी):

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत अंचल औड़ाई के मौजा हलीमपुर थाना नं0-96 में आज तक चकबंदी खतियान का वितरण नहीं किया गया और न ही चकबंदी खतियान मुजफ्फरपुर अभिलेखागार में जमा किया गया तथा हलीमपुर मौजा चकबंदी अधिनियम की धारा 26 के तहत अधिसूचित भी नहीं है एवं दिनांक 19.01.2018 को अधिसूचना सं0-12/चक.मि. 09/03/15-54 चक के माध्यम से बिहार चकबंदी अधिनियम 1956 की धारा 3(1) के अन्तर्गत औड़ाई की चकबंदी प्रक्रिया रद्द की जा चुकी है फिर किस प्रकार वहाँ राजस्व अधिकारी द्वारा जमाबंदी रजिस्टर पार्ट-2 बना कर अवैध कार्य कर रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पदाधिकारियों एवं

कर्मचारियों के विरुद्ध कब तक कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल उपलब्ध कराना

*392 श्री पवन कुमार यादव (155) (कहलगांव):

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

1. क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के गोराडीह प्रखंड के मुरहन जमीन पंचायत के वार्ड नंबर 6 अंतर्गत ग्राम बड़ी जमीन मंडल टोला एवं इसके आसपास के 80 घरों में एवं मुरहन वॉर्ड संख्या- 8 के 70 घरों में नल का जल नहीं पहुंचता है, जिससे उक्त इलाके में पेयजल की गंभीर समस्या है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त इलाके में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

पर्चा देना

*393 डॉ. संजीव कुमार (151) (परबत्ता):

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

1. क्या यह बात सही है कि अभियान बसेरा-2 के तहत भूमिहीन परिवार को सरकार वासगीत पर्चा का वितरण कर रही है,

2. क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के गोगरी प्रखंड के पैकात पंचायत विरवास ग्राम में कटाव से पीड़ित भूमिहीन परिवारों सहित परबत्ता प्रखंड के सौढ उत्तरी पंचायत के सतीश नगर में 54 परिवार जो कि एनएच 31 और रेलवे के बीच बांध पर बसे हैं, साथ ही राजपूत टोला नयागांव नगर पंचायत क्षेत्र इंदिरा नगर रुपौली के सैकड़ों परिवारों को अबतक जमीन का पर्चा नहीं मिला है, जिससे इन्हें कोई भी सरकारी लाभ भी नहीं मिल पा रहा है,

3 . यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कबतक इन परिवारों के बीच पर्चा वितरण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कचहरी को जीर्णोद्धार

*394 श्री मनोज कुमार यादव (16) (कल्याणपुर):

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि जिला पूर्वी चंपारण अन्तर्गत प्रखण्ड कोटवा (Kotwa) के मच्छरगाँवा पंचायत में फतुहॉ

(मच्छरगॉवा) राजस्व कचहरी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जिस कारण स्थानीय स्तर पर राजस्व से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने में असुविधा होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित राजस्व कचहरी को जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

जीर्णोद्धार करना

*395 मो० आफाक आलम (58) (कसबा, पूर्णिया):

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत जलालगढ़ प्रखण्ड में बना जल मिनार विगत 10 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है और पाईप लाईन भी जर्जर हो गया है , यदि हाँ, तो सरकार उक्त जल मिनार को चालू कराने का विचार रखती है,नहीं, तो क्यों ?

मछलियाँ विलुप्त

*396 श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (194) (आरा):

पशु एवं मत्स्य संसाधन :-

स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 18.06.2025 को प्रकाशित “ गंगा से 33 प्रजाति की मछलियाँ विलुप्त होने के कगार पर ” शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि बिहार के गंगा जिले के नदी में वर्ष 2007 से 2009 के बीच हुए शोध में पटना जिला के त्रिवेणी घाट, गाय घाट, घघा घाट और दीघा घाट के बीच 36 कि०मी० में जीव विभाग के पूर्व विभागध्यक्ष के द्वारा सर्वे किया गया था जिसमें मछली की 106 प्रकार प्रजातियाँ थी । जबकि पिछले 2 वर्ष पूर्व चले शोध में 73 प्रजाति की मछलियाँ पाई गयी है तथा 33 प्रजाति की मछलियाँ विलुप्त हो गयी है, यदि हाँ, तो सरकार विलुप्त हो रही प्रजाति की मछलियों को बचाने हेतु कौन-कौन सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

कार्रवाई

*397 श्री अरूण सिंह (213) (काराकाट):

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने कि कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत केसठ राजवाहा-1, बिक्रमगंज नगर परिषद् क्षेत्र में घनी आबादी के

बीचो-बीच तेन्दूनी चौक एवं ढीबरा मुहल्ला होते हुए गुजरती है ,

2. क्या यह बात सही है कि केसठ राजवाहा-1 के उपर स्लैब/ढलाई नहीं होने के कारण शहर का सारा कचरा उसमें भरते जा रहे हैं जिससे इलाके के खेतीहर भूमि को पटवन के लिए पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण वहाँ पटवन की प्रबल समस्या बनी रहती है,

3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार इलाके के खेतीहर भूमि को पानी पहुँचाने एवं पटवन की समस्याओं से निजात दिलाने हेतु केसठ राजवाहा-1 के उपर स्लैब अथवा ढलाई का कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

राशि का भुगतान

*398 श्री विजय कुमार (169) (शेखपुरा):

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि ज्ञापांक-78, दिनांक-30.04.2025 विभागीय संकल्प सं०-2523, दिनांक-19.05.2015 के आलोक में राज्य के 88 नगर परिषदों के सभापति/उपसभापति तथा सभी वार्ड पार्षदों को प्रतिमाह नियत भत्ता भुगतान हेतु वर्ष 2025-26 में 6,49,08,000/-रु० (छः करोड़ उनचास लाख आठ हजार) अनुदान के रूप में राशि स्वीकृत की गई है ;

2. क्या यह बात सही है कि नगर परिषद, शेखपुरा में वर्ष 2017-2022 तक कुल 27 वार्डों में जनप्रतिनिधि चुने गये थे, जिन्हें नवम्बर 2020 में मात्र एक साल का एवं सितम्बर 2024 में छः माह का भत्ता भुगतान अबतक हो पाया है तथा अभी भी जनप्रतिनिधियों का 3-1/2 वर्षों का भुगतान लंबित है ;

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार वर्णित संकल्प के आलोक में नगर परिषद, शेखपुरा के जनप्रतिनिधियों को शेष राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पर्चा दिलाना

*399 श्री गोपाल रविदास (188) (फुलवारी):

नगर विकास एवं आवास क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि पटना के बुद्ध मूर्ति, सेवरी नगर, (रुकनपुरा नहर), आंबेडकर नगर (दानापुर नहर), फुलवारीशरीफ के कन्हैया नगर, आंबेडकर नगर, नहरपुरा (फुलवारीशरीफ), भीखा चक (पटना सदर) में बसे महादलित परिवारों को झोपरी एवं खुले आसमान में अपना गुजारा कर रहे हैं, जिससे उन्हें आवास एवं बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्जित स्थलों को चिन्हित करते हुए स्थाई पक्के मकान को व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

बस का परिचालन

*400 श्री तारकिशोर प्रसाद (63) (कटिहार):

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला मुख्यालय में विभागीय बस स्टैण्ड का उद्घाटन वर्ष 2016 में ही हो चुका है, लेकिन आज तक वहाँ से बसों का परिचालन नहीं हो पाया है, जिसके कारण कटिहार शहर में यत्र-तत्र बसों का पड़ाव अस्थायी तौर पर होता है, यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तथा ट्रैफिक व्यवस्था भी काफी चरमरा गई है,
2. यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त उद्घाटित बस स्टैण्ड से बसों का परिचालन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*401 श्री भीम कुमार सिंह (219) (गोह) :

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- 1. क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत गोह प्रखंड के ग्राम पंचायत बनतारा के श्रीमती अनवरी खातून एवं हसपुरा प्रखंड के अहियापुर पंचायत के ग्राम महुआरी के श्री कृष्णा यादव द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय के नाम अपनी जमीन दान करने के लिए वर्ष 2003 में कागजात जमा किया गया ताकि सरकारी भवन का निर्माण हो सके परन्तु पदाधिकारियों द्वारा बार-बार कागजात में कमी बता कर अभी तक जमीन महामहिम राज्यपाल के नाम नहीं हो सका है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए यथाशीघ्र जमीन माननीय राज्यपाल महोदय के नाम करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

फ्लाई ओवर का निर्माण

*402 श्री समीर कुमार महासेठ (36) (मधुबनी):

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

1. क्या यह बात सही है कि मधुबनी शहर में आबादी का घनत्व काफी अधिक रहने तथा फ्लाई ओवर नहीं रहने के कारण सड़क जाम की समस्या रहती है,
2. क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा मधुबनी शहर के बीचोबीच एक फ्लाईओवर के निर्माण की मांग विगत 10 वर्षों से की जा रही है, परंतु अभी तक उस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है,
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार मधुबनी शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए एक

फ्लाई ओवर का निर्माण कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण हटाना

*403 श्री अमरजीत कुशवाहा (106) (जीरादेई):

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला अन्तर्गत प्रखण्ड पूसा पंचायत दक्षिणी हरपुर वार्ड सं0-6 महादलित टोला में महादलित सामुदायिक भवन सह वर्क शेड का निर्माण हेतु सरकारी जमीन, थाना नं0-6, खाता संख्या-276, खेसरा संख्या-1772, रकवा-35 डिसमिल का चयन कर अंचलाधिकारी, पूसा ने एन.ओ.सी. दिया है;
- 2 . क्या यह बात सही है कि अभियंता द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान अतिक्रमणकारी द्वारा सामुदायिक भवन के निर्माण का विरोध करते हुए उक्त जमीन का अतिक्रमण कर लिया गया है,
- 3 . यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनाज उपलब्ध करना

*404 श्री मुरारी मोहन झा (86) (केवटी):

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण :-

क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने का कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत सिंघवाड़ा प्रखण्ड के कलिगांव पंचायत में 100 से अधिक उपभोक्ताओं का राशन कार्ड बन कर छः महीने पहले प्राप्त हो चुका है लेकिन पौस मशीन पर नाम अपडेट नहीं रहने के कारण उन्हें अभी तक डीलरों के द्वारा अनाज नहीं दिया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त राशन कार्ड धारियों को अनाज उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*405 श्री शिव प्रकाश रंजन (195) (अगिआंव):

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने का कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत नगर पंचायत गड़हनी में विभागीय पदाधिकारियों के मिलीभगत से कार्यरत बल से ज्यादा सफाई कर्मी दिखाकर राशि की निकासी की जाती है, साथ ही सफाई कर्मियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति भी दर्ज नहीं करायी जाती है,

2. क्या यह बात सही है कि उक्त सफाई कर्मियों को नियमित और तय वेतन नहीं दिया जाता साथ ही ईपीएफ के लाभ से भी वह वंचित है,
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कब तक इसकी जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, नहीं तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*406

श्रीमती नीतु कुमारी (236) (हिसुआ):

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के हिसुआ नगर परिषद् में आउट सोर्सिंग कर्मियों की समयावधि समाप्त होने के बावजूद उन्हें अवैध रूप से कनीय अभियंता, सामुदायिक समन्वयक, कर-संग्रहक, टैक्स दारोगा, प्रधान लिपिक आदि पदों पर बरकार रखते हुये महत्वपूर्ण प्रभार देकर अवैध वसूली करवाया जाता है,
2. क्या यह बात सही है कि हिसुआ नगर परिषद् में विभागीय पत्रांक 3810 द्वारा पदस्थापित कनीय अभियंता श्री सुभाष कुमार को रजौली स्थानांतरित करवाकर आउटसोर्सिंग कर्मी श्री सुबोध कुमार जिसकी सेवा समाप्त हो चुकी है को अनुचित लाभ के लिए कनीय अभियंता का अवैध प्रभार दिया गया है,
3. यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार हिसुआ नगर परिषद् में हुई अवैध नियुक्तियों की जाँच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?

एनओसी लंबित हैं।

*407

श्री आनन्द शंकर सिंह (223) (औरंगाबाद):

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के सदर अंचल में अंचलाधिकारी का पद पिछले एक वर्ष से रिक्त है और प्रभार में कार्य चलाने जाने से आम जनता का जमीनों का परिर्माण, दाखिल- खारिज आदि के कार्य 6-6 माह तक लंबित रहता है तथा मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजनाओं में एनओसी 6-6 माह तक लंबित रहता है, जिससे योजनाओं का क्रियान्वयन ससमय नहीं हो पाता है और विकास कार्य प्रभावित होता है; यदि हाँ, तो सरकार औरंगाबाद सदर अंचल में पूर्णकालिक अंचलाधिकारी का पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

मुआवजा देना

*408

श्रीमती मंजु अग्रवाल (226) (शेरघाटी):

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि गया जी जिलान्तर्गत प्रखंड डोभी में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर निर्माण हेतु पंचायत-खरांटी एवं कुरमावा में कृषकों की रैयती भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है जिसमें अधिकांशतः कृषकों की सारी भूमि अधिगृहित होती जा रही है एवं अधिकृत जमीन के एक ही प्रकार का मुआवजा राशि किसानों को दिया जा रहा है जिससे किसान कई महीनों से आंदोलित हैं ,यदि हाँ ,तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करते हुये जमीन के विभिन्न प्रकार के अनुरूप किसानों को मुआवजा राशि देने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

जाँच कराना

*409

श्री राकेश कुमार रौशन (174) (इस्लामपुर, नालन्दा):

कृषि क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के इस्लामपुर प्रखंड के वौरी सहित छः ग्रामों में मगही एवं बनारसी पान की खेती करनेवाले किसानों का वर्ष 2024 में आयी आंधी एवं ओला वृष्टि से हुई फसल क्षति की मुआवजा राशी के भुगतान हेतु प्रखंड एवं जिला वागवानी पदाधिकारी द्वारा प्रति कृषक से नाजायज राशि की वसूली की जा रही है, साथ ही सम्बंधित कागजातों में बदलाव कर अवैध किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है, यदि हाँ तो सरकार कबतक इसकी जांच करते हुए वैध किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान करवाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?
